

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध / द्वारा फैक्स / ईमेल / क्यूमेल

**मुख्यालय              पुलिस              महानिदेशक,              उत्तर              प्रदेश।**

1—तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: डीजी—स्था०—ग्रीष्मकालीन स्था०ना०पु०/२०१८/२५२  
सेवा में,

दिनांक: जनवरी २७, २०१८

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/  
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/  
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भाँति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था—२०१८ के अन्तर्गत जोनल प्रभारी के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरण एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- 1— उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
- 2— उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्र०श्रेणी/मुख्य आरक्षी ना०पु०
- 3— मुख्य आरक्षी वि०श्र०/आरक्षी पुलिस,

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक: २८—०२—२०१८ तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक एवं सापट कापी ईमेल आईडी [digkarmik@gmail.com](mailto:digkarmik@gmail.com) पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित, “पुलिस रथापना बोर्ड” विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु कट—आफ—डेट ३०—०४—२०१८ नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोनल स्तर पर पूर्ण कर ली जाये :-

- (1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: १०—०२—२०१८ तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वांछित स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: २०—०२—२०१८ तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक: २८—०२—२०१८ तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा।
- (3) स्थानान्तरण से सम्बन्धित सन्दर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक: ११—०७—१९८६, ०७—०६—२०१४ व २४—०७—२०१५ इस मुख्यालय के पत्र दिनांकित: २२—०६—२०१७ में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये किया जाये। शासनादेश व पत्र की प्रति संलग्न है।
- (4) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाये जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।

- (5) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।
- (6) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांकित: 31-03-2018 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 31-03-2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।
- (7) परिक्षेत्र/जोनल/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2018 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2018 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

#### **(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—**

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुये, अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप-“ए” में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा। इन सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो एवं उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार उपलब्ध हों तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

#### **(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—**

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut off Date 30-04-2018 नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद में	एक परिक्षेत्र में
1	उपनिरीक्षक ना०पु०	06 वर्ष	12 वर्ष
2	उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्र०/ मुख्य आरक्षी ना०पु०	10 वर्ष	-
3	मुख्य आरक्षी ना०पु० वि०श्र०/ आरक्षी पुलिस	15 वर्ष	-

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण अलग-अलग निर्धारित प्रारूप-“बी” में हार्ड कापी एवं सी०डी० सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

### 3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण :-

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था०(निर्देश) / 2017 के शीर्षक “प्रशासनिक स्थानान्तरण” के बिन्दु संख्या 1 से 6 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया जाये।

**4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके हैं,**

- को पदवार चिह्नित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये उनकी सूचना प्रारूप-डी में संलग्न की जाये साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी हैं तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाये।
- मा० उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगनादेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये स्थगन सम्बन्धी मा० न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाये तथा प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाये।

### सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ निम्न प्रारूप संलग्न है:-

प्रारूप-ए	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले-
प्रारूप-बी	निर्धारित समयावधि
प्रारूप-सी	प्रशासनिक एवं जनहित।
प्रारूप-डी	पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
प्रारूप-ई	पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार-प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मी अपने प्रार्थना-पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सके तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।
3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को कमांकित किया जाये तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाये।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशा० पत्रांक: ८ / २००८ दिनांक २९.०१.२००८ के अनुसार सभी कर्मियों का पर्सनल नम्बर (पी०एन०ओ०) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पी०एन०ओ० नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्मालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी०डी० तथा E Mail ID-digkarmik@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नकःप्रारूप।

२५/०१/१८  
(एस०बी० शिरडकर)

अपर पुलिस महानिदेशक/  
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**प्रतिलिपि:**— निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना इस मुख्यालय के पत्र संख्या:डीजी-चार-स्था०- निर्देश-२०१७/९०० दिनांक: २२-०६-२०१७ के शीर्षक “कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक”, में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन कर्मियों का समायोजन उनके अधीनस्थ इकाईयों में सम्भव न हो, से सम्बन्धित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी०डी० में तैयार कराकर मय हार्ड कापी दिनांक १५.०२.२०१८ तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

१—अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/विशेष जांच/ भ्र०नि०स००/ ई०ओ०डब्लू/अभिसूचनामुख्यालय/एसटीएफ/एटीएस/एसआईटी/मानवाधिकार/ सतर्कता अधिष्ठान/ रेडियो मुख्यालय/सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/ यातायात निदेशालय उ०प्र०० लखनऊ/उ०प्र०० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद/लाजिस्टिक/डा० भीमराव अम्बेडकर अकादमी, मुरादाबाद/ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सीतापुर/ ए०टी०सी० सीतापुर।

- 2— अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4— पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय दस्त्र भण्डार कानपुर।
- 6— सेनानायक, ए0पी0टी0एस0 चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 7— सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव।
- 8— पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।
- 9— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 10— मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।

प्रारूप "ए"																				
अनुकूला के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण																				
क्रमसंख्या	पदनाम	वैज्ञ	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति क्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण									
											वर्तमान वर्तमान नियुक्ति का जनपद	अनुकूला के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद / इकाई का नाम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसफ्ट एक्सेल में हिन्दी फार्म(कृत्त्वा) में तेयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फोड़ की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अकेत की जाय।

प्रारूप "बी"											
निर्धारित अवधि पर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण											
क्रमांक	पदनाम	बैज	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्ण नियुक्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	इकाई का नाम

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनाएँ माइक्रोसफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तेयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जायें, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "सी"																			
प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण																			
क्रमसंख्या	पदनाम	वेदा	पीएनओ	क्रम	पिता	जाति	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	पद पर नियुक्ति	गृह	पूर्व नियुक्तियों का विवरण	वर्तमान जनपद	वर्तमान जनपद का नाम	यदि कर्मी का नाम किसी अन्य तिथि	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण / संस्करण त अंकित किया जाए	यदि कर्मी स्थानान्तरणीय न है तो उसका विवरण	अभ्युदय त		
0	म	ज	0 नं०	१	१	१	१	१	१	१	ई का नाम	क	क	नियुक्ति त की तिथि	स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण / संस्करण त अंकित किया जाए				
1	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें भाइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

स्थानान्तरणाधीन प्रतिस कर्मियों का दिवरण, जिन्हे कार्यमुक्त नहीं किया गया।							प्रारूप "डी"				
क्र0सं0	पदनाम	बैज	पीएनओ0	कर्मी	पिता	नियुक्त	आदेश संख्या व दिनांक	जिसके	कहाँ	कार्यमुक्त न किये	अभ्युक्ति
				का नाम	का नाम	जनपद का	द्वारा स्थानान्तरण	किया गया है।	से	को	जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

प्रारूप "ई"						
स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं अधिकता का विवरण						
क्र0सं0	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति अधिकता	अनुक्रमा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
					8	9
						10
						11

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
व मुहर

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था०(निर्देश) / 2017/900  
सेवा में,

दिनांक:जून २२ 2017

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/  
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जोनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :—

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :—

- 1— शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 05 वर्ष व 06 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल कमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल सम्पत्ति हो।
- 2— जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी ना०पु०/स०पु० एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक / उपनिरीक्षक ना०पु० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3— शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1986 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मी को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4— जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में समयावधि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5— किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी की राजकीय रेलवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/चौकी में वह कार्यरत रहा है।

- 6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनके गृह जनपद में स्थित है।
- 7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

#### वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक नारूप० एवं उपनिरीक्षक नारूप०, स०प० को पूर्व की भाँति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी नारूप०, स०प० व आरक्षी पुलिस को परिक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के कम में जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिक्षेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिक्तियों के आनुपातिक सञ्चुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भाँति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्यः स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

#### सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिवश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकूल्या के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कर्मिकों के परिवारीजन/रिश्तेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 27-क में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

### प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथ्यात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अभिसूचना /एल0आई0यू की आव्याय, कर्मी द्वारा व्यवसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथ्यात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट राय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोपों के सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से गहराई से जांच करायी जाये तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इंगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेंगा।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय एवं जोनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

### निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन् शासनादेश दिनांकित: 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिक्षेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह बहाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

### एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यरत कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्थीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्थीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहाँ उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

#### स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कार्मिकों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किन्हीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

#### वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 2- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहाँ से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कार्मिकों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस आने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहाँ पर वह वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।

6— वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7— वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1986 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8— वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9— प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपकम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पैत्रक विभाग को वापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

24/6/17  
(एसएबी० शिरडकर)  
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1— समस्त परिषेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

- 3— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।

0 m ✓ 24/6/17

मृत्यु आरोपी विवरण  
CA-BIG (K)

1486 P-001

संग्रहीत/वार्ता-८६

प्रेस,

श्री भाता प्रसाद,  
पूर्ण सचिव,  
अन्तर्राष्ट्रीय शासन।

रोमा धी,

पुलिस पहाड़ियारक,  
अन्तर्राष्ट्रीय लाइन।

गृह(प्रांतिक) अनुसारी-

विवरण- पुलिस दल के कानूनी हेड कानूनी उपनियोगिक तथा नियुक्ति एवं स्थानान्तरण।

संदर्भ : दिनांक : 11 जुलाई, 1986।

प्राप्तिक्रिया,

ठपर्पुक्त विवरण शासनादेश संख्या-3417/आठ-1-31/70 दिनांक 27 जून 1983 का अधिकारण करते हुए श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के कांस्टेबिल, इड कानूनी उपनियोगिक तथा नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाय तथा उक्त शासनादेश इस सीधा तक संशोधित समझा जाय।

- 1- किसी भी नियोगिक अधिकारी उपनियोगिक को उसके गृह परिषेक में तैनात न किया जाय जो साथ ही किसी भी नियोगिक अधिकारी उपनियोगिक को ऐसे जिले में तैनात न किया जाय जो उसके गृह जायपद से सीधावती हो।
- 2- किसी भी नियोगिक अधिकारी उपनियोगिक को एक परिषेक में पूरे रोमा काल में 12 घर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाय। उपनियोगिक अवधि तक नियुक्त न किया जाय। नियुक्त अवधि तक नियुक्त को एक जनराज में 5 घर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाय। नियुक्त अवधि तक नियुक्त को उपर्युक्त उपनियोगिक दो सेवा अवधि कानूनी समिति द्वारा नियुक्त किया जाय। उपर्युक्त उपनियोगिक को जिले भी सामाजिक दल जनराज में भी नियुक्त किया जाय।
- 3- अभिसूतगां विभाग के अधिकारियों द्वारा उपनियोगिक के पद पर श्रोन्ति दिये जाए उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस वे न की जाय अपितु उनकी नियुक्ति अपनाय जाए उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस वे न की जाय अपितु उनकी नियुक्ति अपनाय जाए उनकी प्रथम नियुक्ति जिला कांस्टेबली दल के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति दी जाय। यदि कोई भी नियोगिक श्रोन्ति के द्वारा अनुपोसित होने के प्रतिशब्द सापाच्यतया तामा दोगा। यदि कोई भी नियोगिक श्रोन्ति के द्वारा नियुक्ति दी जाय तो उसे कांस्टेबली दल के अधिकारियों द्वारा श्रोन्ति के द्वारा नियुक्ति दी जाय। यदि कोई भी नियोगिक श्रोन्ति के द्वारा नियुक्ति दी जाय तो उसे कांस्टेबली दल के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति दी जाय।

पुलिस उपनियोगिक (ज्ञानकेन्द्र)  
उपर्युक्त पुलिस नायनियोगिक  
उ० प्र०, छक्कल

(2)

- 4- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि थाने के प्रभाती अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ छाकिया ही रहे, अतः साधारणतया जिन नियोक्ताओं/उप नियोक्ताओं में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ता तो हो, तरह थाने का कार्यभार न दिया जाय ! इस संबंध में शारीरिक स्वस्थता हेतु प्राप्तरूप अलग से जारी किये जा रहे हैं ।
- 5- हेठले कानूनोंमें कानूनदेवित को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के राय, बर्ती जानवरों गैर तौलने वालीया जाय अधिका जिन जगहों पर डंडी अचल संपत्ति हो, उनमें भी नियुक्ता न किया जाय । हेठले कानूनों की एक जनपद में 10 वर्ष तथा बांस्टेडिल को एक जनपद में 15 वर्ष तक थोड़ी तक ही विचुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेठले कानूनदेवित के विषय पर ब्रह्मले लास्टेडिल की नियुक्ति नहीं अवधि भी सम्मिलित होती ।
- 6- उपरोक्त आदेश वाक्यालिक प्रधान से लागू समझे जायेगे ।
- 7- कृपया इस संबंध में पुलिस ऐलेशन के संबंधित प्रस्तावों में सम्मुचित संशोधन किये जाने हेतु गृह(पुलिस)अनु०-७ को स्पष्ट प्रस्ताव पेश जाय ।

प्रबंधीय

रु0/-

गारा प्रसाद

सचिव ।

पंखा तथा : 5001(1)/अडृ-1-तस्तिनांक

प्रांतीय नियन्त्रित को सूचनार्थ एवं आवश्यक वार्तावाही हेतु प्रेषित :-

- (1) पुलिस भवानीरोक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
- (2) पुलिस भवानीरोक्षक, अधिसूचना विभाग, ड०३० ।
- (3) पुलिस भवानीरोक्षक, अंतराधीन अनुसंधान विभाग, ड०३० ।
- (4) पुलिस भवानीरोक्षक, ड००१५०३०, ड०३० ।
- (5) पुलिस उपभानीरोक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, ड०३०, इलाहाबाद ।
- (6) नियोक्ता, पुलिस रेडियो सेचा, ड०३० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ ।
- (7) गृह(पुलिस) अनुधान २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ व गोपन-७
- (8) सचिव, मुख्य भवी जी ।

आवा से

रु0/-

अपरेंट सिन्हा, संचुक्त सचिव ।

प्रक्रा-797/६-५-१-१२-८१/२००१

२  
-601-

गोपनीय

लीण लीठरी,  
सरकारी, पुणे  
उठाड़ शासन।

सेवा दें

✓ पुणिस गठनिरीशक,  
उठाड़ लालगड।।।

शुभ (पुणिस) अमुगांग-।।। संघर्षक

विवर: पुणिस गल के आरबी, मुख्य आदली, उप निरीशक शासनीय की निपुणता एवं  
राजनान्तरण।

प्रदेश

उपर्युक्त विवरण शासनावेश संख्या-५००/आठ-१-०६ विनाक ११, पुणार्थ १९०६ का  
कृपया संतोष गठन करने का काष्ट घटें।।।

२- उपर शाखा में युद्ध यह कहने का निषेच तुला है कि पुणिस विभाग ने यापत्ता आदी  
एवं मुख्य आदली के संघर्षक अधिकारी लो. उमुसार आदली पर्यंत युद्ध आदली का  
संघर्षक उनको युद्ध जनपद के प्रौद्योगिक विवेद लाने के लिये लाने के लिये एवं युद्ध आदली का  
प्रौद्योगिकों के सुविधाया निर्माण किया गया है। यह पुणिस विभाग अधिकारी एवं  
आदला संघर्षक उनके युद्ध जनपद के प्रौद्योगिक लागपादी के लिये जाने वाले युद्ध आदली का  
उपर शासनावेश संख्या- ५००/आठ-१-०६ विनाक. ११ पुणार्थ, १९०६ को सात सीधा  
ताप संसोदित रामाधा जानें।।।

शासनीय,

(लीण लीठरी)  
विवर

इच्छा ए विनाक देवेन्।।।

उपर दी गई विभागिता को भूष्मार्य एवं आर्यपक कार्यालयी हेतु भेजित है।।।

- (१) आपर पुणिस गठनिरीशक, लाभिया, उठाड़ लालगड।।।
- (२) पुणिस गठनिरीशक स्थापना, मुख्यालय पुणिस मठनिरीशक, उठाड़ लालगड।।।
- (३) पुणिस उप निरीशकीय रथापांडा उठाड़ पुणिस मुख्यालय, इलाहाबाद।।।
- (४) गाँड़ फारूदा।।।

गाँड़ देवेन्।।।

(लीण लीठरी)  
विवर संहित

विवरण दाता

विवर

१८८

पुणिस गठनिरीशक

विवर

२०/३/१८

१८८८-१८८९-१८८०

१८८

विवरण दाता

विवर

पुणिस गठनिरीशक

विवर

FAX

संख्या: 1031/8-पु-1-15-81/2001

प्रेषण  
पुलिस महानिदेशक  
उत्तर प्रदेश राज्यन  
सेवा मं.

पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(6b03)

3202  
राज्यन

T6(E)

WV  
D 4 P  
25-7-15  
पुलिस महानिदेशक  
उत्तर प्रदेश

गृह (पुलिस) अनुभाग-1  
विषय:-पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनांक: २५ अगस्त, 2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: औजी-यार-स्था०-१०६(३७०)/२०१३, दिनांक १७-०५-२०१३ का सन्दर्भ यहन करने का कष्ट करें, जिससे हारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष की समयावधि ये अन्यात उन्हें गृह अपवाह के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनदेश संख्या: 1039/8-पु-1-14-81/2001, दिनांक 07-06-2014 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में भुजे यह कहने का गिरेश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भी पुलिस विभाग के सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक की छोड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का स्वयं विधारोपण का निर्णय लिया गया है।

3- प्रश्नगत शासनदेश दिनांक 07-06-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।  
कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निष्पत्ति  
०२३००५०५०  
( मणि प्रसाद मिश्र )  
संधिय।

संख्या: 1031(1)/8-पु-1-15-81/2001 तथा दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर पुलिस महानिदेशक, ३०३० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, ३०३० लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, ३०३० लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, ३०३०१०, ३०३० लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, ३०३० लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, ३०३० पुलिस रेडियो मुख्यालय, सखनऊ।
- पुलिस उप महानिदेशक, स्थापना, ३०३० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- पुलिस उप महानिदेशक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, ३०३०।
- गृह (पुलिस) एवं गोपन के समरत अनुगाम।
- गार्ड काफ़िल।

पुलिस महानिदेशक (विधायक)  
निरीक्षक

26/7/15

आदा से,

( वच्च लाल )  
अनु संधिय।

पुलिस उप महानिदेशक (विधायक)  
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक  
३०३० लखनऊ  
७२८४८११